संख्या:28/2015/3347जेएल/22-3-14-100(73)/2014

प्रेषक,

आर0के0 द्विवेदी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 11 फरवरी, 2015***

विषय: केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष/विचाराधीन बंदी रामकुमार वर्मा पुत्र श्री महेश प्रसाद वर्मा को जिला कारागार-बाराबंकी स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपके पत्र संख्या-37688/सामा-1(3)/वाराणसी मं0/2010, दिनांक 16-12-2014 में की गयी संस्तुति के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-128 सपठित-409ए में निहित प्राविधानों के अनुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष/विचाराधीन बंदी रामकुमार वर्मा पुत्र श्री महेश प्रसाद वर्मा को जिला कारागार-बाराबंकी स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति **इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि उक्त बंदी के विरूद्ध जनपद-बाराबंकी में विचाराधीन वाद संख्या-102/03, धारा-302 आई.पी.सी. व 3(1) यू0पी0जी0एक्ट का निस्तारण होने के उपरान्त उसे केन्द्रीय कारागार, वाराणसी स्थानान्तरित कर दिया जायेगा।**

2- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आर0के0 द्विवेदी)
उप सचिव।

संख्या:28/2015/3347जेएल(1)/22-3-14-उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, वाराणसी।
3. वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी/अधीक्षक, जिला कारागार, बाराबंकी।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0के0 द्विवेदी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in